

09.12.22

पत्रावली पेश हुई।

वादी का विवक्त अनुपस्थित।

वादी एवं वादी का विवक्त को पत्रावली में

उत्तरी पेशी हेतु न्यायालय सत्र में रुक-

कर कर आवेजों दी जाने के बावजूद कोई

उपस्थित नहीं।

चूंकि पत्रावली दर्ज होने से आठिनाई
तक ताली की प्रारम्भिक स्टेज पर है तथा
पत्रावली में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः उक्त पत्रावली में कोई कार्रवाई
नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने पर पत्रावली
अदम हाजरी व अदम पेशी में खारिज की
जाती है।

पत्रावली फिसल सुगर होकर दायिल इफ्तार है।

सहायक कलेक्टर
(650) शिव